स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 228.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973, को जहां तक उसका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली समूह ''ग'' (एक्सरे सहायक) भर्ती नियम, 1955 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे सहायक और रेडियोग्राफर के समूह ''ग''पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, रेडियोग्राफी काडर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
एक्स-रे सहायक	4* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय जा सकता है ।	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए

	(6)
	चालीस वर्ष की आयु तक की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी, उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :–** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: **शैक्षिक अर्हता:** (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा पास । (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में (दो वर्ष की अवधि का) सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं समक्ष प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसरण में अभ्यर्थी हिंदी में कामकाज की जानकारी रखता हो और यदि वह हिंदी की जानकारी नहीं रखता है, तो वह अपनी परिवीक्षा की अवधि के भीतर उसे अवश्य अर्जित करना होगा ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली —अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली —सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. रेडियोग्राफर	24* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)

(6)
टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी, उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2 :–** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा पास । (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में (दो वर्ष की अवधि का) सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, (ग) अनुभव : किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में एक वर्ष रेडियोग्राफी का अनुभव **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं समक्ष प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 के अनुसरण में अभ्यर्थी हिंदी में कामकाज	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)
की जानकारी रखता हो और यदि वह हिंदी की जानकारी नहीं रखता है, तो वह अपनी परिवीक्षा की अवधि के भीतर उसे अवश्य अर्जित करना होगा ।

(10)	(11)
पन्द्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; पच्चासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा ।	ऐसे एक्स-रे सहायक की प्रोन्नति जो वेतन बैंड-1, 52000-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में दस वर्ष नियमित सेवा रखते हैं। प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. के पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा है; या (iii) जिनकी वेतन बैंड-1, 52000-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा है. और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । **टिप्पण:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण:-** ऐसे पदधारी जो एक्स-रे सहायक जो वेतन बैंड-1, 52000-20200 रु + ग्रेड वेतन 2000 रु. का पद धारण किए हुए हैं और रेडियोग्राफर पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अस्पताल द्वारा विनिश्चित पद की ड्यूटी से सुसंगत प्रशिक्षण दक्षता से किया होना आवश्यक है ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली —अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली —सदस्य	लागू नहीं होता।

(12)	
4. उप निदेशक (प्रशासन), अस्पताल चिकित्सा अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली	—सदस्य

[फा. सं. ए. 11018/22/2012-एम एच-III]
संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th October, 2014

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III Post) Radiographer Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Radiographers and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, Group 'C' (X- ray Assistant) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of X-ray Assistant and Radiographers in the Department of Radiology in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Safdarjung Hospital, New Delhi, Radiology Cadre, Group C Recruitment Rules, 2014.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.— The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. X-ray Assistant	4* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2000	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Depaprtmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: Educational qualification: (a) 12th class pass with Science from a recognised Board; (b) Certificate or Diploma in Radiography. (Two year duration) from a recognised institute.	Not applicable	Two years

(7)
Note 1.- Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Note 2.-** According to rule 10 of the Official Languages Rules, 1976, framed under the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the candidate should have the working knowledge of Hindi and if he does not have the knowledge of Hindi, he must have to acquire the same during his period of probation.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent Safdarjung Hospital, New Delhi —Chairman 2. Head of the concerned Department Safdarjung Hospital, New Delhi —Member 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Radiographer	24* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2800	Not selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for depaprtmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(6)
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications fromcandidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Essential: Educational qualification: (a) 12th class pass with Science from a recognised Board; (b) Diploma or Certificate in Radiography. (Two year duration) from a recognised institution; and (c) Experience: One year experience in Radiography in a Hospital or Medical Institute. **Note 1.-** Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Note 2.-** According to rule 10 of the Official Languages Rules, 1976, framed under the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the candidate should have the working knowledge of Hindi and if he does not have the knowledge of Hindi, he must have to acquire the same during his period of probation.	No	Two years for direct recruits

(10)	(11)
Fifteen per cent by promotion failing which by deputation. Eighty five per cent by direct recruitment failing which by promotion.	Promotion from X-ray Assistant with ten years regular service in the grade Pay Band 1, Rs. 5200-20200 with grade Pay of Rs. 2000. **Deputation** Officers under the Central Government- (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with ten years' regular service in the pay scale of Pay Band 1, Rs. 5200-20200 with grade Pay of Rs. 2000; or (ii) with five years' regular service in the posts in the pay scale of Pay Band 1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 **and** (b) possessing the requisite qualifications and experience as given in column (7). **Note: 1** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** The present incumbent holding the post of X-ray Assistant on regular basis in Pay Band 1, Rs. 5200-20200 + 2000 (Grade Pay) and being considered for promotion to the post of Radiographer, must undergo hands on training relevant to the duties of the post as decided by the hospital in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare for a period of one month.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of - 1. Additional Medical Superintendent Safdarjung Hospital, New Delhi —Chairman 2. Head of the concerned Department Safdarjung Hospital, New Delhi —Member 3. Deputy Director Administration Safdarjung Hospital, New Delhi —Member 4. Deputy Director Administration, Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services. —Member	Not applicable.

[F. No. A. 11018/22/2012-MH III]

SANJAY PANT, Under Secy.